(विक्रयार्थ प्रारुप) एस०सी०जे० नं० ८ भाग ७

साक्षी को सम्मन

(आर्डर १६, कायदा १ और ५)

न्यायालय स्थान जिला

वाद संख्या सन १९ ई०

वादी

बनाम

प्रतिवादी

नाम अदालत—
नाम मुकद्दमा—
नाम फरीकैन—

चूंकि ऊपरि कथित वाद में की ओर आपकी हाजिरी के लिए आपेक्षित है, अतएव आपसे एतदद्वारा आपेक्षित किया जाता है कि आप १९ के के दिवस को बजे पूर्वान्ह में इस न्यायालय में समक्ष स्वयं उपसंजात हो और अपने साथ लायें (या इस न्यायालय को भेजे आपकी यात्रा और अन्य व्ययों के और एक दिन के लिए जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में रुपये की राशि इसके साथ भेजी जाती है। यदि आप इस आदेश का अनुवर्तन की करने के विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना असफल रहेंगे तो आप गैर हाजिरी के उन परिणामों के अध्यधीत हो जायेंगे, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता १९०८ के आदेश १६ के नियम १२ में दर्ज है।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज १९ के के दिवस को निकाला गया।

न्यायालय

सूचना

१—यदि आप दस्तावेज पेश करने के लिए ही न कि साक्ष्य देने के लिए आहूत किये गये हों और यदि आप पूर्वोक्त दिन और समय को इस न्यायालय में दस्तावेज पेश करवा दें तो यह समझा जायेगा सम्कन का अनुकरवंत किया है।

२—यदि आप उपयुक्त दिन से आगे भी यहां विरुद्ध किये जायेंगे तो रुपये की राशि आपको उल्लिखित दिन से आगे की हाजिरी के प्रतिदिन के लिये निबिदत्त की जायेगी।

(विक्रयार्थ प्रारुप) एस०सी०जे० नं० ८ भाग ७

साक्षी को सम्मन

(आर्डर १६, कायदा १ और ५)

न्यायालय स्थान जिला

वाद संख्या सन १९ ई०

वादी

बनाम

प्रतिवादी

नाम अदालत—
नाम मुकद्दमा—
नाम फरीकैन—

चूंकि ऊपरि कथित वाद में की ओर आपकी हाजिरी के लिए आपेक्षित है, अतएव आपसे एतदद्वारा आपेक्षित किया जाता है कि आप १९ के के दिवस को बजे पूर्वान्ह में इस न्यायालय में समक्ष स्वयं उपसंजात हो और अपने साथ लायें (या इस न्यायालय को भेजे आपकी यात्रा और अन्य व्ययों के और एक दिन के लिए जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में रुपये की राशि इसके साथ भेजी जाती है। यदि आप इस आदेश का अनुवर्तन की करने के विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना असफल रहेंगे तो आप गैर हाजिरी के उन परिणामों के अध्यधीत हो जायेंगे, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता १९०८ के आदेश १६ के नियम १२ में दर्ज है।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज १९ के के दिवस को निकाला गया।

न्यायालय

सूचना

१—यदि आप दस्तावेज पेश करने के लिए ही न कि साक्ष्य देने के लिए आहूत किये गये हों और यदि आप पूर्वोक्त दिन और समय को इस न्यायालय में दस्तावेज पेश करवा दें तो यह समझा जायेगा सम्कन का अनुकरवंत किया है।

२—यदि आप उपयुक्त दिन से आगे भी यहां विरुद्ध किये जायेंगे तो रुपये की राशि आपको उल्लिखित दिन से आगे की हाजिरी के प्रतिदिन के लिये निबिदत्त की जायेगी।